

15.07.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद प्रकरण में तहसीलदार भीलवाड़ा से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने तहसीलदार भीलवाड़ा से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील वादी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा प्राथमिक डिक्री अनुसार प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राप्त विभाजन के अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सांगानेर 40ह0 सांगानेर भू0अ0नि0 सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

1. बंशीलाल पुत्र ज्वारा जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1193/2	0.1180	-
1194/2	0.2276	-
किता-2	0.3456 है.	-

2. जगदीश पुत्र जीतू जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1193/3	0.0590	-
1194/3	0.1138	-
किता-02	0.1728 है.	-

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफतर दाखिल हो।

Ghavl

(आब्दाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपरखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

वाद में अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी -आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

उनवान
1-श्री बंशीलाल पुत्र ज्वारा जाट निवासी सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा।

--- वादी

- बनाम
1-श्री जगदीश पुत्र जातू जाट निवासी बलाई मौहल्ला, सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा।
2-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
3-उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय भीलवाडा।

--- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0एक्ट

प्रकरण संख्या-118/2021 राजस्व वाद

वादी की ओर से अधिवक्ता पृथ्वीराज चौधरी उपस्थित व प्रतिवादी संख्या 01 में - इस वाद में आज तारीख 15.07.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत अन्तिम डिक्री दी जाती है -

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम सांगानेर प0ह0 सांगानेर भू0अ0नि0 क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. बंशीलाल पुत्र ज्वारा जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।


आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1193/2	0.1180	-
1194/2	0.2276	-
किता-2	0.3456 है.	-

2. जगदीश पुत्र जीतू जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम निम्न भूमि हक व हिस्सा अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1193/3	0.0590	-
1194/3	0.1138	-
किता-02	0.1728 है.	-

विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का पार्ट रहेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें।

आज दिनांक 15.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा